



**NAGALAND UNIVERSITY**  
**नागालैण्ड विश्वविद्यालय**

(A Central University established by Act of Parliament No.35 of 1989)  
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1989, क्रमांक 35 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)  
Hqr: Lumami, Dist: Zunheboto, (Nagaland), Pin Code-798 627  
मुख्यालय : लुमामी, जुन्हेबोटो (नागालैण्ड), पिन कोड - 798627

No.NUL/HC/2010-

Date: 28/08/2015

**NOTIFICATION**

Hindi Language Training is essential for all those Non-Hindi Speaking employees who are working under Ministries/ Departments of Central Government and its related Offices or Subordinate Offices and wherein they don't have the minimum knowledge of Hindi language.

This Hindi Training programme consists of 3(Three) Courses i.e., Prabodh, Praveen and Pragya.

Prabodh course is initial course. This course is designed to develop the knowledge in Hindi at primary School level. The course, Praveen is designed to develop the knowledge at Middle School level. The course, Pragya, is designed to develop the knowledge at High School level.

**Eligibility criteria :**

1. **PRABODH:** Those Employees/Officers who are not having primary level Hindi knowledge and whose Mother tongue is Kannada, Tamil, Malayalam, Telugu, Mizo, Manipuri or English, become eligible for this initial course.
2. **PRAVEEN:** Those candidates who have qualified Prabodh examination or those Employees/ Officers who are not having VIII class level Hindi knowledge and whose Mother tongue is Marathi, Gujarati, Bengali, Assamese, Oriya, Nepali, Konkani, Bodo, Santhali, become eligible for this course.
3. **PRAGYA:** Those candidates who have qualified Praveen examination or those Employees/ Officers who are not having High School level Hindi knowledge and whose Mother tongue is Marathi Urdu, Sindhi, Punjabi, Pashto, Kashmiri or Dogari, become eligible for this course.

Age Limit: There is no Upper age limit.

The intending candidates may report to undersigned and enroll their names latest by 28<sup>th</sup> September 2015. It may be noted that the Central Govt. employees are exempted from payment of examination fee. The Central Hindi Training Institute, New Delhi will provide the study material at free of cost.

Sd/-

(Dr. Anuj kumar)  
Hindi Officer

Date: 28/08/2015

No.NUL/HC/2010-2455

Copy to:

1. The Secretary to the Vice-Chancellor, N.U, Lumami for kind information.
2. The Pro-Vice Chancellor, N.U Kohima Campus/SASRD Campus for information and Circulation.
3. Sr. P.S. to Registrar, N.U, Lumami for kind information.
4. All Concerned (Deans- SETAM/Kohima/SASRD, HoDs/ Section Heads) for information and circulation.
5. Notice Board/ Office File.

(Dr. Anuj kumar)  
Hindi Officer



NAGALAND UNIVERSITY  
नागालैण्ड विश्वविद्यालय

(A Central University established by Act of Parliament No.35 of 1989)  
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1989, क्रमांक 35 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)  
Hqr: Lumami, Dist: Zunheboto, (Nagaland), Pin Code-798 627  
मुख्यालय : लुमामी, जुन्हेबोटो (नागालैण्ड), पिन कोड - 798627

क्र.नाविलु/हिप्र/2010-

दिनांक : 28/08/2015

अधिसूचना

हिंदी भाषा प्रशिक्षण उन सभी गैर-हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए आवश्यक है जो केंद्र सरकार के मंत्रालयों / विभागों और इससे संबंधित कार्यालयों या अधीनस्थ कार्यालयों के अंतर्गत काम कर रहे हैं एवं जिन्हें हिंदी भाषा का न्यूनतम ज्ञान नहीं है।

इस हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम में 3 (तीन) पाठ्यक्रम यानी, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ शामिल है।

प्रबोध पाठ्यक्रम प्रारंभिक पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम को प्राथमिक स्कूल स्तर पर हिन्दी में ज्ञान को विकसित करने के लिए बनाया गया है। पाठ्यक्रम प्रवीण को मध्य स्कूल स्तर पर ज्ञान को विकसित करने के लिए बनाया गया है। एवं पाठ्यक्रम प्राज्ञ को उच्च विद्यालय स्तर पर ज्ञान को विकसित करने के लिए बनाया गया है।

**योग्यता एवं पात्रता :**

1. **प्रबोध** : यह प्रारंभिक स्तर का प्रशिक्षण है। इसमें कन्नड, तमिल, तेलगु, मलयालम, कोंकणी तथा अंग्रेजी भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें हिन्दी का ज्ञान प्राइमरी स्तर तक का नहीं है, प्रबोध प्रशिक्षण के पात्र हैं।
2. **प्रवीण** : यह पाठ्यक्रम उन कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए है जो प्रबोध पास कर चुके या जो प्राइमरी स्तर तक हिन्दी पढ़ चुके हैं या जिनका हिन्दी ज्ञान 8वीं कक्षा से कम है। इसमें मराठी, गुजराती, बंगला, असमियां और उड़िया भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी सीधे प्रवेश ले सकते हैं।
3. **प्राज्ञ** : यह अंतिम पाठ्यक्रम है। यह उन सभी कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए है जो प्रवीण पास कर चुके हैं या जिन्हें मिडिल /माध्यमिक स्तर तक का हिन्दी का ज्ञान है या जिनका हिन्दी का ज्ञान मैट्रिक या 10 वीं कक्षा से कम है। उर्दू, सिंधी, पंजाबी तथा पश्तो भाषा-भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्राज्ञ स्तर का प्रशिक्षण अनिवार्य है।

**आयु सीमा:** इन पाठ्यक्रमों को करने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।

दाखिला लेने के इच्छुक उम्मीदवार 28 सितंबर 2015 से पहले अधोहस्ताक्षरी के पास अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। साथ ही यह उल्लेख किया जा रहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। इस पाठ्यक्रम को करने के लिए केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली निःशुल्क अध्ययन सामग्री प्रदान करेगा।

भवदीय  
(डॉ. अनुज कुमार)  
हिंदी अधिकारी  
दिनांक : 28/08/2015

क्र. नाविलु/हिप्र/2010- 2455

**प्रतिलिपि :**

1. कुलपति के सचिव को, कुलपति नागालैण्ड विश्वविद्यालय, लुमामी के सूचनार्थ।
2. समकुलपति, नावि कोहिमा/ससाई परिसर के सूचनार्थ एवं प्रसार हेतु.
3. कुलसचिव के वरिष्ठ निजी सचिव को, कुलसचिव नागालैण्ड विश्वविद्यालय, लुमामी के सूचनार्थ।
4. सभी अधिष्ठाता-सेतम/कोहिमा/ससाई, विभागाध्यक्ष/ अनुभागाध्यक्ष के सूचनार्थ के सूचनार्थ एवं प्रसार हेतु
5. सूचनापट्ट/ कार्यालय फाइल।

(डॉ. अनुज कुमार)  
हिंदी अधिकारी 28/8/2015